Cems – 2020/00158

28/02/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/05/25 को पेश हो।

14/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री को अभिलेख पर लिया जाता हैं। आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री पर वकुलाय उभयपक्ष को सुना गया। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।

26/05/25

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव व प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री का अवलोकन किया गया। चूंकि पेश प्रार्थना पत्र आपति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री में स्पष्ट रूप से आपत्ति का अंकन नही किया गया हैं। अतः वकील प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह [illegible] दिनांक 26.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व [illegible] मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.03 11:17:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना